2017/00040

Reader - 1

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 36/2017

1. श्री चन्द्रकान्त पिता स्व. श्री धनराज जी जैन, उम्र 40 वर्ष, जाति जैन, निवासी तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज)
2. श्रीमती मंजुला पुत्री स्व. श्री धनराज जी जैन, पत्नी श्री प्रकाशजी घाटलिया, उम्र 42 वर्ष, जाति जैन, निवासी नरवाली तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राज)
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व. श्री हंसमुखजी जैन, उम्र 34 वर्ष, जाति जैन, निवासी तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज)
4. श्री शोभित पिता स्व. श्री हंसमुखजी जैन, उम्र 15 वर्ष, जाति जैन, निवासी तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज) नाबालिग जरिये वलिया व माता श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व. श्री हंसमुखजी जैन, उम्र 34 वर्ष, जाति जैन, निवासी तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज) – प्रार्थीगण

बनाम

01. भारत संघ द्वारा श्रीमान परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113, कार्यालय–पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस, घाटोल रोड, बाँसवाडा (राज.)
02. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)
03. श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा, जिला बांसवाडा (राज.) – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित		
श्री हीरालाल जैन, –अधिवक्ता प्रार्थी		श्री योगेश सोमपुरा, –अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :– 22–03–2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, यह कि, प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1153 वर्गफीट में से 199 वर्गफीट खुली भूमि व 954 वर्गफीट भूमि उस पर दो मंजिला आर.सी.सी. में निर्मित मकान, दूकान जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर में निर्मित एरिया 954 वर्गफीट व प्रथम मंजिल में निर्मित एरिया 954 वर्गफीट इस प्रकार कुल निर्मित एरिया 1908 वर्गफीट एवं उक्त भूमि में एक बोरिंग किया हुआ है जो वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे)

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

पर तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 750 वर्गफीट में से 125 वर्गफीट खुली भूमि व 625 वर्गफीट भूमि पर दो मंजिला आर.सी. सी. में निर्मित मकान जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर में निर्मित एरिया 625 वर्गफीट व प्रथम मंजिल में निर्मित एरिया 625 वर्गफीट इस प्रकार कुल निर्मित एरिया 1250 वर्गफीट वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 875/4 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1679/875) की रकबा 05 बिस्वा आबादी भूमि वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 878/4 की रकबा 06 बिस्वा आबादी भूमि वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी नं. 1 व 2 की माता, प्रार्थी नं. 3 की सास व प्रार्थी नं. 4 की दादी श्रीमती सागर पत्नि स्व. श्री धनराजजी की दिनांक 23.10.2016 को मृत्यु हो गई हैं तथा प्रार्थीगण के अलावा उसका अन्य कोई विधिक वारीस या उत्तराधिकारी नहीं हैं तथा स्व. श्रीमती सागर पत्नि स्व. श्री धनराजजी के पुत्र श्री हसमुख की भी दिनांक 25.04.2013 को मृत्यु हो गई हैं तथा प्रार्थी नं. 3 व 4 के अलावा स्व. श्री हंसमुख का अन्य कोई विधिक वारीस या उत्तराधिकारी नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड मे आने वाली भूमि को अवाप्त की जाने की अधिसूचना से 212 (अ) नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशित हुई थी जिसमे तेजपुर के आराजी सर्वे नं. 880, 875 को अवाप्त की जाने की अधिसूचना प्रकाशित हुई है तथा सर्वे नं. 878, 879 की भूमि भी अवाप्त की जा रही है। प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1153 वर्गफीट में से 684 वर्गफीट जिसमें 76 वर्गफीट खुली भूमि व 608 वर्गफीट भूमि उस पर दो मंजिला आर.सी.सी. में निर्मित मकान, दूकान बोरिंग, उस पर लगी मोटर आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 750 वर्गफीट में से 500 वर्गफीट भूमि जिसमें 70 वर्गफीट खुली भूमि व 430 वर्गफीट भूमि पर दो मंजिला आर.सी.सी. में निर्मित मकान, दूकान व सर्वे नं. 875/4 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1679/875) में से 4360 वर्गफीट तथा 878/4 में से 1790 वर्गफीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की जा रही है। यह कि, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रार्थीगण ने नियमानुसार आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बॉसवाडा के वहां आपत्ति पेश की थी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा द्वारा तहसीलदार बाँसवाडा से मौके व रेकॉर्ड की जांच कराई गई। जिसमें जांच रिपोर्ट में गांव तेजपुर का आराजी सर्वे नं. 880 में से प्रार्थीगण की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1153 वर्गफीट में से 684 वर्गफीट जिसमें 76 वर्गफीट खुली भूमि व 608 वर्गफीट भूमि उस पर दो मंजिला आर.सी.सी. में निर्मित मकान, दूकान बोरिंग, उस पर लगी मोटर आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 750 वर्गफीट में से 500 वर्गफीट भूमि जिसमें 70 वर्गफीट खुली भूमि व 430 वर्गफीट भूमि पर दो मंजिला आर.सी.सी. में निर्मित मकान, दूकान व सर्वे नं. 875/4 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं.

1679/875) में से 4360 वर्गफीट तथा 878/4 में से 1790 वर्गफीट भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा को रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी उक्त मकान व भूमि का स्वामी है तथा अपने मकान व भूमि का Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दो गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियो को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति के बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा द्वारा मौके व रेकॉर्ड की जांच कराई तथा उक्त जांच रिपोर्ट के बाद भी प्रार्थी को अपने मकानात व भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को अदा नही की है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थी को अदा नही किया गया है। इस कारण भू–अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू–अवाप्ति अधिनियम व नियमो के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा –

(1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others
(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors

व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणो मे वैधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है।

प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 1153 वर्गफीट में से 954 वर्गफीट भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के मकान की 608 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थीगण का उक्त दो मंजिला निर्मित मकान पुरा ध्वस्त हो रहा हैं, तथा निर्मित भाग का कुल क्षैत्रफल 1908 वर्गफीट हैं व इसी प्रकार सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षैत्रफल 750 वर्गफीट में से 625 वर्गफीट भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के मकान की 430 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थीगण का उक्त दो मंजिला निर्मित मकान पुरा ध्वस्त हो रहा हैं, तथा निर्मित भाग का कुल क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट हैं, इस कारण प्रार्थीगण अपने दोनो मकानो की सम्पूर्ण क्षति का मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। वर्तमान में उक्त सर्वे नं. 880 में से प्रार्थीगण की आबादी भूमि 684 वर्गफीट (76 वर्गफीट खुली भूमि व 608 वर्गफीट भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 3,28,320/– अक्षरे तीन लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ बीस रूपया एवं उस पर निर्मित दो मंजिला मकान 1908 वर्गफीट

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(निर्मित भाग) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर निर्मित मकान का मुआवजा रूपया 34,34,400/– अक्षरे चौतीस लाख चौतीस हजार चार सौ रूपया एवं उक्त भूमि पर बोरिंग कर उस पर मोटर लगी हुई है जिसका निर्धारण रूपया 2,00,000/– अक्षरे दौ लाख रूपया तथा सर्वे नं. 879 में से प्रार्थीगण की आबादी भूमि 500 वर्गफीट (70 वर्गफीट खुली भूमि व 430 वर्गफीट भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 2,40,000/– अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपया एवं उस पर निर्मित दो मंजिला मकान 1250 वर्गफीट (निर्मित भाग) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर निर्मित मकान का मुआवजा रूपया 22,50,000/– अक्षरे बाईस लाख पचास हजार रूपया एवं सर्वे नं. 875/4 (आबादी ुदा आराजी सर्वे नं. 1679/875) में से आबादी भूमि 4360 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 20,92,800/– अक्षरे बीस लाख बराणवे हजार आठ सौ रूपया व सर्वे नं. 878/4 में से आबादी भूमि 1790 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 8,59,200/– अक्षरे आठ लाख उनसाठ हजार दौ सौ रूपया होता है तथा उक्त कुल राशि रूपया 94,04,720 /– अक्षरे चौराणवे लाख चार हजार सात सौ बीस रूपया का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 94,04,720/– अक्षरे चौराणवे लाख चार हजार सात सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,88,09,440/– अक्षरे एक करोड़ अठयासी लाख नौ हजार चार सौ चालीस रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थीगण पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरूद्व निम्न आशय का अवार्ड पारीत करावे कि :–

(क) यह कि, प्रार्थीगण की उक्त जायदाद का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 94,04,720 /– अक्षरे चौराणवे लाख चार हजार सात सौ बीस रूपया का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 94,04,720 /– अक्षरे चौराणवे लाख चार हजार सात सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,88,09,440/– अक्षरे एक करोड़ अठयासी लाख नौ हजार चार सौ चालीस रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थीगण पाने का अधिकारी है, वह भी दिलाया जावें।

in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चुंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थीयान श्री चन्द्रकांत पिता धनराज, मंजुला पुत्री धनराज, उर्मिला पत्नि स्व. हंसमुख, शोभित पिता हंसमुख ना.बा. सरपरस्त माता उर्मिला की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत ग्राम तेजपुर में निम्नानुसार भूमि अवाप्ति में आ रही हैं।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	अवाप्त क्षैत्रफल (वर्गफीट)	भूमि पर स्थित परिसम्पति
1	879	0.16	आबादी	375	उर्मिला का दो मंजिला पक्का मकान, दुकान
2	1679/875	005	आबादी	1980	–
3	1680/878	006	आबादी	2700	–
4	1681/880	002	आबादी	660	चन्द्रकांत का पक्का मकान, दुकान, बोरिंग

अधिसूचना जारी नहीं होकर अवार्ड पारित नहीं होने से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम तेजपुर के उक्त खसरा नम्बरान नहीं हुई हैं। खातेदार श्री चन्द्रकांत वगैरह जाति जैन निवासी तेजपुर ने अपने नाम ग्राम तेजपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1679/875 रकबा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 1676/878 रकबा 6 बीस्वा एवं खसरा नम्बर 1675/880 रकबा 2 बीस्वा भूमि का कार्यालय तहसीलदार, बांसवाडा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2004/53–56 दिनांक 08.12.2004 को आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ हैं। उक्त आदेश की पालना में ग्राम तेजपुर के नामान्तरकरण संख्या 1374 दिनांक 08–12–2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री–सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया हैं। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ हैं। खसरा नम्बर 879 सेटलमेन्ट रेकार्ड से आबादी दर्ज हैं। परिसम्पत्ति का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता हैं।

प्रार्थीयान श्री चन्द्रकांत पिता धनराज, मंजुला पुत्री धनराज, उर्मिला पत्नि स्व. हंसमुख, शोभित पिता हंसमुख ना.बा. सरपरस्त माता उर्मिला की ग्राम तेजपुर में स्थित उक्त खसरा नम्बरान में अवाप्तशुदा भूमि का (पारित अवार्ड के अतिरिक्त मौके पर अवाप्ति में आ रही भूमि) पूरक सूची तैयार कर परियेजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग

(विश्व बैंक) बांसवाडा को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने पृथक से प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो–प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता हैं।

दिनांक 22–03–2018 को बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी मुआवजे की राशि का भुगतान कराया जावे।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बढा चढा कर प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ हैं। उक्त आदेश की पालना में ग्राम तेजपुर के नामान्तरकरण संख्या 1374 दिनांक 08–12–2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री–सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया हैं। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त होने से यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो–प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता हैं। इस प्रकार प्रार्थी को उसकी आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं. 113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा